

दिल्ली विकास प्राधिकरण
लेखा अधिकारी (चिकित्सा)-I कार्यालय
री-1/207, द्वितीय तल, सी-ब्लॉक, विकास सदन
आई.एन.ए. नई दिल्ली-110023

संख्या.एफ8(3)2015-16/एम.सी./एन.एम.एस./पार्टV/462

दिनांक : 24.05.2019

परिपत्र

विषय : कीमोथेरेपी/रेडियोलॉजी/कैंसर आपात स्थितियों से संबंधित उपचार के लिए सी.जी.एच.एस. पैनलबद्ध अस्पतालों (जिन्हें आगे दि.वि.प्रा. पैनल पर लिया गया) द्वारा दि.वि.प्रा. चिकित्सा कार्ड धारकों को क्रेडिट सुविधा।

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ स्तरीय समिति द्वारा एक अन्य कल्याणकारी उपाय के रूप में और दि.वि.प्रा. चिकित्सा लाभार्थियों की अतिरिक्त सुविधा हेतु "क्रेडिट सुविधा" के लिए निम्नलिखित 19 अस्पतालों को अनुमोदित किया गया है, ताकि दि.वि.प्रा. चिकित्सा कार्ड धारक (कार्यरत / पेशन भोगी/पारिवारिक पेशन भोगी/उनके आश्रितों) कीमोथेरेपी/रेडियोलॉजी/कैंसर हेतु केशलैस उपचार प्राप्त कर सकें।
2. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ स्तरीय समिति ने एक अन्य कल्याणकारी उपाय के रूप में क्रेडिट सुविधा अस्पतालों की सूची में शामिल करने के लिए 03 अस्पतालों (वैकटेश्वर अस्पताल, आकाश अस्पताल और एफ.आई.एम.एस. अस्पताल) को भी अनुमोदित किया है।
3. उपर्युक्त क्रेडिट-सुविधा निम्नलिखित परिस्थितियों/प्रतिबंधों/वित्तीय जाँच के अधीन होगी :-
 - क. क्रेडिट सौमा प्रत्येक मामले में केवल 3.00 लाख रूपये तक सीमित रहेगी। उसके बाद, अस्पताल द्वारा अग्रिम रूप में विधिवत् पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 - ख. 5 दिन के बाद अस्पताल में रखने के लिए अस्पताल द्वारा दि.वि.प्रा. से पूर्व अनुमति लेनी अवश्यित होगी।
 - ग. 'क्रेडिट सुविधा' केवल सी.जी.एच.एस. की दरों के अनुसार सीमित रहेगी और अस्पताल नोट कर लें कि दि.वि.प्रा. द्वारा केवल सी.जी.एच.एस दरों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। किसी भी अन्य उपचार/ बढ़ी हुई दरों,स्टेंट्स/प्रत्यारोपण इत्यादि के लिए रोगी को स्वयं ही अंतर की जागत/राशि जमा करनी होगी।
 - घ. अस्पताल जागत-कक्ष पर एक सूचना लगाएँगे कि पूर्ववर्ती खण्डों में यथा परिभाषित केवल गंभीर बीमारियों वाले गंभीर रोगियों के मामले में "क्रेडिट-सुविधा" के लिए विचार किया जाएगा।
'क्रेडिट-सुविधा' की अनुमति उन रोगियों को दी जाएगी, जो क्रेडिट नोट/अनुमति-पत्र के साथ अस्पताल के आपातकालीन में संपर्क करेंगे।
3. 22 अद्यतन अस्पतालों की सूची, उपर्युक्त विशिष्ट कीमोथेरेपी/रेडियोलॉजी/कैंसर उपचार हेतु क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी:-

क. दक्षिणी जोन -

- i. मूल चंद अस्पताल, लाजपत नगर, नई दिल्ली
- ii. बत्रा अस्पताल, बदरपुर, महरौली, नई दिल्ली
- iii. प्राइमस अस्पताल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- i. बी.एल. के अस्पताल पूसा रोड, नई दिल्ली
- ii. कालरा अस्पताल, कीर्ति नगर, नई दिल्ली
- iii. दिल्ली हार्ट एण्ड लंग्स अस्पताल, पंचकुड़ियाँ रोड, दिल्ली
- iv. पार्क अस्पताल, केशोपुर, बाह्य रिंग रोड, नई दिल्ली
- v. वेकटेश्वर अस्पताल, द्वारका, नई दिल्ली
- vi. आकाश अस्पताल, द्वारका, नई दिल्ली

ग. उत्तरी जोन -

- i. फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली
- ii. जयपुर गोल्डन अस्पताल, रोहिणी, नई दिल्ली
- iii. सरोज अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली

घ. पूर्वी जोन -

- i. धर्मशिला अस्पताल, वसुंधरा एन्कलेव, दिल्ली
- ii. मेट्रो अस्पताल, प्रीत विहार, दिल्ली

ड. नोएडा -

- i. प्रकाश अस्पताल, नोएडा
- ii. कैलाश अस्पताल, नोएडा
- iii. फेलिक्स अस्पताल, नोएडा

च. गुडगाँव -


- i. पार्क अस्पताल, गुडगाँव, हरियाणा
- ii. आर्टमिस अस्पताल, गुडगाँव, हरियाणा

छ. फरीदाबाद -

- i. पार्क अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा
- ii. एशियन अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा

ज. सोनीपत -

- i. एफ.आई.एम.एस अस्पताल, सोनीपत, हरियाणा


उप मुख्य लेखा अधिकारी (चिकित्सा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के विशेष कार्य अधिकारी ।
2. वित्त सदस्य के विशेष कार्य अधिकारी ।
3. अभियंता सदस्य के निजी सचिव ।
4. प्रधान आयुक्त (कार्मिक) के निजी सचिव ।
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव ।
6. मुख्य विधि सलाहकार के निजी सचिव ।
7. आयुक्त (भूमि प्रवंधन) के निजी सचिव ।
8. आयुक्त (भूमि निपटान) के निजी सचिव ।
9. आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव ।
10. आयुक्त (कार्मिक) के निजी सचिव ।